संख्या-37/2023/आई/265231/001-41-1002-001-1-2021-Part-2

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 के अवशेष माहों के व्यय को वहन हेतु सम्बन्धित मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6580/(बजट)/प्र0/2022, दिनांक 09.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में दीपोत्सव, देव-दीपावली, रंगोत्सव, एवं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न पर्यटन साहित्यों (द पाथ पुस्तिक, मा0 अयोध्या पुस्तिका, वाराणसी पुस्तिका, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद नियमावली पुस्तिका, मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन पुस्तिका इत्यादि), जूट एवं पेपर कैरीबैग, धनराशि का भुगतान किया जाना है, जिस पर लगभग रू0 60.00 लाख का व्यय सम्भावित है, जिसका भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये जाने के सम्बन्ध में 14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से 03 पर्यटन सूचना और प्रसार के मानक मद 18-प्रकाशन मद में रु0 60.00 लाख (रु0 साठ लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-272/2022/आई/161489/41-1002-002-2-2021, दिनांक 02.05.2022 द्वारा लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार-18-प्रकाशन मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान की अवधि में प्रथम चार माह के लिए धनराशि रू0 25.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-474/2022/2936/001-94-budget-2018-T.C.-1, दिनांक 09.09.2022 द्वारा धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

रू0 50.00 लाख अवमुक्त की गयी थी, अर्थात कुल प्रावधानित धनराशि रू0 75.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 75.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से 03 पर्यटन सूचना और प्रसार के 18-प्रकाशन मद में रु0 30.00 लाख (रु0 तीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022**,** दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022**,** दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का मिलान महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार **मानक मद** 18 प्रकाशन के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-37/2023/आई/265231/001-41-1002-001-1-2021-Part-2, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।